तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज		
	निगरानी/टीए/1114/2018/चित्तोड़गढ़ **रतनलाल बनाम चान्दमल**		
	एकल–पीठ **श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य** **उपस्थितः–** (1) श्री के0के0 पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थी। (2) श्री राम रघुनाथ, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **निर्णय** **दिनांकः 06.04.2022** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ के प्रार्थना पत्र संख्या 09/2015 बउनवान भूरालाल बनाम ऊंकारलाल में पारित निर्णय दिनांक 04–12–2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ऊंकारलाल वादी ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के समक्ष विवादित आराजी के बाबत् एक दावा प्रस्तुत किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर कर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23–09–1975 से स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अपील के विचाराधीन रहते दिनांक 17–04–2015 को अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील विड्रो करने का निवेदन किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 17–04–2015 से अपील अपीलांट विड्रो किये जाने से खारिज कर दी गई जिस आदेश के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 जा0दी0 प्रस्तुत कर उक्त अपील को विड्रो करने का कोई आवेदन अपीलांट की ओर से न पेश हुआ और न ही इस प्रकरण के पक्षकारों के मध्य राजीनामा ही हुआ। इस कारण गलतफहमी में वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। अतः उक्त आवेदन को पुनः विचार करने योग्य है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। इसी दौरान दिनांक 30–09–2016 को एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 प्रस्तुत हुआ जिसमें रेस्पो0 सं0 4 बंशीलाल पिता ऊंकार की मृत्यु दिनांक 14–4–2016 को होना बताया जाकर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसका रेस्पो0 ने कोई जवाब नहीं देकर सीधी बहस की गई।		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1114/2018/चित्तोड़गढ़** **रतनलाल बनाम चान्दमल**	
	विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04–12–2017 से इस न्यायालय द्वारा अपील सं0 368/2012 में पारित निर्णय दिनांक 17–04–2015 रिव्यू किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सी0पी0सी0 दिनांक 12–06–2015 कानून मयाद का लाभ देते हुए स्वीकार करते हुए इस न्यायालय का आदेश दिनांक 17–04–2015 अपास्त कर अपील की पत्रावली को पुनः नंबर/तारीख पेशी पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं जिस निर्णय दिनांक 4–12–2017 से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– निगरानी पर योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। 4– योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, खिलाफ न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की समस्त कार्यवाही एकपक्षीय, विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 की परिधी में नहीं आता है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र संधारण योग्य ही नहीं था क्योंकि स्वयं अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को जरिये विड्रो खारिज कराया गया था। ऐसे में अभिलेख पर प्रथम दृष्ट्या ऐसी कोई त्रुटि नहीं थी जिससे रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार कराया जा सकता हो फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आक्षेपित आदेश पारित करने में अहम त्रुटि कारित की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त हे कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनना आवश्यक है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 4–12–2017 निरस्त किया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी को जिरह का अवसर प्रदान किया जावें। 5– प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के तथ्यों का विरोध करते हुए कथन किया कि विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 17–4–2015 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से गांव के मोतवीर व्यक्तियों द्वारा दोनों पक्षों को समझा दिया गया है। इसलिए अपीलांट उक्त अपील में अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा उक्त अपील को इसी स्टेज पर विड्रा कर खारिज करने का निवेदन किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1114/2018/चित्तोड़गढ़** **रतनलाल बनाम चान्दमल**	

गया। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7– विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 4–12–2017 में अंकित किया कि इस न्यायालय द्वारा अपील सं0 368/2012 में पारित निर्णय दिनांक 17–04–2015 रिव्यू किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 सी0पी0सी0 दिनांक 12–06–2015 कानून मयाद का लाभ देते हुए स्वीकार करते हुए इस न्यायालय का आदेश दिनांक 17–04–2015 अपास्त कर अपील की पत्रावली को पुनः नंबर/तारीख पेशी पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

8– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत निगरानी विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ के आदेश दिनांक 4–12–2017 के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने रिव्यू स्वीकार कर अपील को सुनवाई हेतु पुनः नंबर पर लिया है।

9– आदेश 43 नियम 1 (W) के अनुसार पुर्नविलोकन के लिए आवेदन मंजूर करने का आदेश जो आदेश 47 नियम 4 के अधीन किया गया हो, की अपील होगी।

10– प्रस्तुत प्रकरण में निगरानी प्रस्तुत की गई है न कि जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के तहत अपील।

11– अतः प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

12– पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य